भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2956
उत्तर देने की तारीख 17 दिसम्बर, 2025

दूरसंचार कंपनियों द्वारा 28 दिवसीय बिलिंग चक्र के संबंध में कार्रवाई

2956. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता पूरे महीने के बजाए 28-दिन की वैधता वाले प्री-पेड प्लान पेश कर रहे हैं जिस कारण उपभोक्ताओं से प्रति वर्ष 13 बिलिंग चक्रों का शुल्क लिया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है और उपभोक्ताओं को वित्तीय नुकसान भी होता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसी पद्धतियों को विनियमित करने और समुचित बिलिंग चक्र सुनिश्चित करने के लिए ट्राई और दूरसंचार विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं:
(घ) क्या सरकार का पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए मासिक (30-दिन) वैधता वाली योजनाओं को अनिवार्य करने का विचार है; और
(ङ) इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई कब तक किये जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

उत्तर (क) से (ङ), मौजूदा विनियामक टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रभार, लीज्ड सर्किट और यूएसएसडी जैसी सेवाओं को छोड़कर फोरबियरेंस के तहत है। मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन, सेवा प्रदाता को बाजार की स्थिति और अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हित

की समझ के आधार पर टैरिफ का निर्धारण करने और उसे प्रस्तुत करने की छूट है। सेवा प्रदाताओं को अपने प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए रिचार्ज वैल्यू और वैधता सहित विभिन्न कॉम्बिनेशन के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल, एसएमएस, डेटा ऑफर आदि के लिए टैरिफ कम्पोनेंट संबंधी दरों का निर्धारण करने की छूट है। सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ का निर्धारण कई कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसमें इनपुट लागत, प्रतिस्पर्धा का स्तर तथा अन्य वाणिज्यिक पहलू शामिल हैं। हालाँकि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 27.01.2022 के दूरसंचार टैरिफ (66वाँ संशोधन) आदेश तथा दिनांक 31.03.2022 के दूरसंचार टैरिफ (67वाँ संशोधन) आदेश के माध्यम से अधिदेशित किया है कि 30 दिन की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर तथा एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश की जाए। ऐसे वाउचर को प्रत्येक माह उसी तिथि को रिन्यू किया जाएगा तथा यदि किसी माह में रिन्यूअल की तिथि उपलब्ध न हो, तो रिन्यूअल की तिथि उस माह की अंतिम तिथि होगी।
